डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/4-357/2024-26

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन दिनांक 16 दिसम्बर, 2024, डिस्पेच दिनांक 16 दिसम्बर, 2024

| वर्ष 68 | अंक 14 | भोपाल | 16 दिसम्बर, 2024 | पृष्ठ 08 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान की मिलिंग के लिए प्रोत्साहन और अपग्रेडेशन राशि की स्वीकृति

विद्युत वितरण कम्पनियों को रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम में 40% राशि अंशपूंजी के रूप में प्रदान करने की स्वीकृति

प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पी.एम. उषा) संचालन की स्वीकृति

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार शाम को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में प्रदेश में उपार्जित धान की मिलिंग के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन और अपग्रेडेशन राशि की स्वीकृति दी है। निर्णय अनुसार मिलिंग राशि 10 रूपये प्रति क्विंटल और प्रोत्साहन राशि 50 रूपये प्रति क्विंटल प्रदाय की जायेगी। साथ ही 20 % परिदान एफ.सी.आई को करने पर 40 रूपये और 40 % परिदान एफ.सी.आई को करने पर 120 रूपये प्रति क्विंटल अपग्रेडेशन राशि प्रदाय की जायेगी। इससे किसानों से उपार्जित धान की मिलिंग में तेजी आयेगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं अंतर्गत चावल की आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के साथ राज्य की आवश्यकता के अतिरिक्त अतिशेष चावल की मात्रा को केंद्रीय पूल में त्वरित गति से परिदान किया जायेगा।

मंत्रि-परिषद द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अंतर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों को राज्यांश 40% राशि लगभग 6 हजार करोड़ रूपये ऋण के स्थान पर अंशपूंजी/अनुदान के रूप में प्रदान करने की स्वीकृति दी गयी है। निर्णय अनुसार राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों को वितरण अधोसंरचना के उन्नयन, वितरण हानियों में कमी तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण से संबंधित बुनियादी अधोसंरचना के निर्माण/विकास कार्यों के लिए राज्यांश की राशि ऋण के स्थान पर राज्य शासन द्वारा अंश पूंजी के रूप में प्रदान की जायेगी। योजनांतर्गत वितरण कंपनियों को अद्यतन ऋण के रूप में दिये गये राज्यांश को भी अंश पूंजी में परिवर्तित किया जायेगा। योजनांतर्गत केन्द्रांश पर देय एसजीएसटी की राशि भी राज्य शासन द्वारा वितरण कंपनियों को अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाई जाएगी। इससे प्रदेश में स्थापित होने वाले स्मार्ट मीटर के कार्य में तेजी आयेगी।

उल्लेखनीय है कि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण व विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति के उद्देश्य से वित्तीय रूप से साध्य एवं परिचालन में दक्ष वितरण क्षेत्र विकसित करने के लिए "रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) लागू की गयी है। योजना में केन्द्र सरकार द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों को प्री-पेड स्मार्ट मीटर व सिस्टम मीटरिंग के लिए 15% राशि और विद्युत अधोसंरचनात्मक विकास के लिए 60% राशि अनुदान के रूप में प्रदान किये जाने का प्रावधान है। शेष 40 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा अंश पूंजी के रूप में प्रदान की जायेगी।

मंत्रि-परिषद द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना 'प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पी.एम. उषा)' के संचालन की सैद्धांतिक सहमति दी गयी है। उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार, शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, द्वारा वर्ष 2013 से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) चरण 1.0 एवं रूसा चरण 2.0 केंद्र प्रवर्तित योजना के रूप में लागू कर प्रारम्भ की गई थी। योजना में प्रदेश के उच्च शैक्षणिक संस्थानों को चरणबद्ध तरीके से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पी.एम. उषा योजना को 4 घटकों पर केन्द्रित किया गया है। जिसमें बहुसंकायी शिक्षा एवं शोध विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के सुदृढ़ीकरण के लिए अनुदान, महाविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए अनुदान और लैंगिक समावेशिता एवं साम्यता पहल शामिल है।

विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना

सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की पायलट परियोजना के अंतर्गत, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज (नैबकॉन्स) के सहयोग से 11 राज्यों अर्थात् महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, असम, तेलंगाना, त्रिपुरा और राजस्थान में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) स्तर पर इनकी 11 पैक्स में गोदामों का निर्माण किया गया है। निर्मित 11 भंडारणों में से 3 को महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना राज्य में पैक्स ने स्वयं के उपयोग के लिए रखा गया है। इसके अलावा 3 को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में राज्य/केंद्रीय एजेंसियों द्वारा किराए पर लिया गया है।

इस पायलट परियोजना को आगे बढ़ा दिया गया है और सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत गोदामों के निर्माण के लिए 21.11.2024 तक देश भर में 500 से अधिक अतिरिक्त पैक्स की पहचान की गई है। इस योजना के तहत, कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ), कृषि विपणन अवसंरचना योजना (एएमआई), आदि जैसी भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं के संमिलन के माध्यम से पैक्स को सब्सिडी और ब्याज सहायता दी जाती है। एआईएफ योजना के तहत 2 करोड़ रुपये तक की परियोजना के लिए 3 प्रतिशत ब्याज सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें ऋण चुकाने की अवधि 2+5 वर्ष होती है। इसके अलावा, एएमआई योजना के तहत भंडारण इकाइयों के निर्माण के लिए पैक्स को 33.33 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसके अलावा, एएमआई योजना के तहत पैक्स के लिए उत्पाद की उत्पादन लागत और उसके विक्रय मूल्य के बीच के अंतर की धनराशि (मार्जिन मनी) की आवश्यकता 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दी गई है। पूंजीगत लागत पर भंडारण अवसंरचना (जिसमें बाउंड्री वॉल, ड्रेनेज आदि जैसी सहायक चीजें शामिल हैं) के लिए सहायता के अलावा, अब पैक्स को सहायक चीजों पर अतिरिक्त सब्सिडी दी जाती है जो गोदाम घटक की कुल स्वीकार्य सब्सिडी के अधिकतम 1/3 या वास्तविक जो भी कम हो, तक सीमित है।

पायलट परियोजना के अंतर्गत 11 राज्यों की 11 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में कुल 9,750 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता वाले 11 भंडारण गोदामों का निर्माण पूरा हो चुका है।

केंद्र सरकार 50 प्रतिशत से ज्यादा का एमएसपी तय करने के साथ ही किसानों की उपज भी खरीदेगी - शिवराज सिंह चौहान

राज्यसभा में उपराष्ट्रपति ने शिवराज का किया नामकरण, नया नाम दिया किसानों के लाड़ले किसानों को सब्सिडी के साथ पूरी खाद मिलेगा

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सभा में फसलों पर एमएसपी, किसानों की कर्जमाफी समेत कई विषयों पर सवालों के जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए किसानों को एमएसपी देने से इंकार कर दिया था, जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पिछले 10 वर्षों से एमएसपी में लगातार बढ़ोतरी कर रही है, वहीं श्री शिवराज सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार उपज एमएसपी पर खरीदती रहेगी। श्री चौहान ने कहा कि हमारी सरकार 50% से ज्यादा का एमएसपी तय करने के साथ ही किसानों से उपज भी खरीदेगी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि 2015 में इस मंत्रालय का नाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय रखा गया, इससे पहले किसान कल्याण का कोई संबंध ही नहीं था।

राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को नया नाम "किसानों के लाड़ले" दिया है। शिवराज सिंह चौहान राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कृषि संबंधी सवालों के जवाब दे रहे थे, इसी दौरान सभापति श्री धनखड़ ने कहा कि जिस आदमी की पहचान देश में लाड़ली बहनों के भैया के नाम से है, अब वो किसान का लाड़ला भाई भी होगा, मैं पूरी तरह आशावान हूं कि ऊर्जावान मंत्री अपने नाम 'शिवराज' के अनुरूप ये करके दिखाएंगे। सभापति और उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने कहा कि आज से मैंने आपका नामकरण कर दिया- किसानों के लाड़ले।

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसानों की उपज मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी जाएगी। हमारी सरकार 50% से ज्यादा का एमएसपी तय भी करेगी और उपज खरीदेंगे भी। उन्होंने कहा कि यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, मोदी की गारंटी वादा पूरा करने की गारंटी है। श्री शिवराज सिंह ने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उन्होंने कहा था कि वो एम.एस. स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ही ये फैसला किया कि लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी की दरें तय की जाएगी। जब कांग्रेस सरकार थी, तब कभी भी 50% से ज्यादा लागत पर इन्होंने किसानों को लाभ नहीं दिया, लेकिन हम कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं कि

कम से कम 50% से ज्यादा लाभ देकर किसानों की फसलें खरीदेंगे।

कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह ने कहा कि मोदी की सरकार बहुत दूरदर्शिता से काम करती है। किसानों का कल्याण और विकास प्रधानमंत्री मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कृषि के लिए बजट आवंटन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। 2013-14 तक ये केवल 21 हजार 900 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 1 लाख 22 हजार 528 करोड़ रुपए हो गया है। किसान कल्याण के लिए हमारी छह प्राथमिकताएं हैं- हम उत्पादन बढ़ाएंगे, उत्पादन की लागत घटाएंगे, उत्पादन का उचित मूल्य देंगे, फसल में अगर नुकसान हो तो उसकी भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के द्वारा करेंगे, हम कृषि का विविधीकरण करेंगे और प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाकर किसानों की आय इतनी बढ़ाएंगे कि बार-बार किसान कर्ज माफी के लिए मांग करने की स्थिति में नहीं होगा। हम आय बढ़ाने पर विश्वास रखते हैं। मेरी कोशिश रहेगी सम्पूर्ण सामर्थ्य और क्षमता झोंककर काम करके अपने किसानों की सेवा कर सकूं और कृषि के परिदृश्य को हम और बेहतर बना सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है उसी का एक रोडमैप हमने बनाया है, जिसे पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

श्री शिवराज सिंह ने कहा कि हम न केवल फर्टिलाइजर उपलब्ध करवा रहे हैं, बल्कि सब्सिडी भी दे रहे हैं। पिछली बार किसानों को 1 लाख 94 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी दी है। तब जाकर यूरिया की बोरी हो, डीएपी की बोरी हो, ये किसानों को सस्ती मिलती है। 2100 रुपए की एक बोरी पर सब्सिडी देने का चमत्कार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है और सारे भारत के किसानों को सब्सिडी देकर हम फर्टिलाइजर समय पर उपलब्ध कराने का काम कर भी रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। केमिकल फर्टिलाइजर के असंतुलित और अंधाधुंध प्रयोग के कारण जो नुकसान होते हैं, उसके लिए भी हम जागरूकता पैदा कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उसके लिए भी चिंतित हैं। इसके लिए जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की तरफ हम ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फिर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि, किसानों को सब्सिडी के साथ पूरा खाद देने में सरकार ने ना तो कोताही बरती है, ना ही आगे कभी बरतेगी पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराया जाएगा।

सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, इंदौर द्वारा आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न

इंदौर, इंदौर जिले के देपालपुर तहसील स्थित"बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी, गोकलपुर"में दिनांक19 नवंबर 2024को सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, इंदौर द्वारा एक दिवसीयप्रशिक्षण कार्यक्रमका सफल आयोजन किया गया।

कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं

सहकारिता की महत्वता:

प्रशिक्षण में सहकारिता की पृष्ठभूमि, उसके मूलभूत सिद्धांतों और "सहकार से समृद्धि" के विचार को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया गया।

नवाचार पर ध्यान केंद्रित:

सहकारी क्षेत्रों में नवीनतम तकनीकों और नवाचारों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। प्रतिभागियों को आधुनिक दृष्टिकोण अपनाने और सहकारिता में नई संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया।

सामुदायिक विकास:

सहकारिता के माध्यम से सामुदायिक विकास और आर्थिक प्रगति के मॉडल पर चर्चा की गई, जिसमें स्थानीय किसानों और सदस्यों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया।

कार्यक्रम मेंसमिति प्रबंधक श्री नितेश शर्मा, कृषक बंधुऔरअन्य सम्माननीय सदस्यबड़ी संख्या में उपस्थित रहे। उनकी सक्रिय उपस्थिति और योगदान ने इस कार्यक्रम को और प्रभावी और सफल बनाया।

कार्यक्रम के अंत में श्री नितेश शर्मा ने सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, इंदौर और सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह प्रशिक्षण क्षेत्र की सहकारी समितियों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने भविष्य में भी ऐसे आयोजनों की आवश्यकता और उपयोगिता पर जोर दिया।

भारत का सहकारी आंदोलन : अमित शाह ने NAFSCOB की हीरक जयंती पर दिया सहकार से समृद्धि का मंत्र

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने भारत मंडपम में राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक महासंघ लिमिटेड (NAFSCOB) की हीरक जयंती समारोह में हिस्सा लेते हुए सहकारिता क्षेत्र की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं को देश के सामने रखा। यह आयोजन देश के सहकारी आंदोलन के लिए मील का पत्थर साबित हुआ।

सहकारिता की ऐतिहासिक उपलब्धियां

श्री शाह ने कहा कि सहकारी तंत्र ने 13 करोड़ से अधिक किसानों को लघु अवधि के कृषि ऋण देकर भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। उन्होंने इसे "भारत के किसानों के लिए जीवनदायिनी" बताया। PACS, ज़िला सहकारी बैंक, और राज्य सहकारी बैंक का त्रिस्तरीय ढांचा भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सहकारिता का नया युग

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को रेखांकित करते हुए कहा कि सहकार से समृद्धि और समृद्धि से संपूर्णता की यात्रा का लक्ष्य देश की 140 करोड़ आबादी के कल्याण और विकास को सुनिश्चित करना है।

- **2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य:**
  श्री शाह ने कहा कि भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, और सहकारी क्षेत्र इस यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- **पंचवर्षीय योजना:**
  अगले पांच वर्षों में देश के 80% जिलों में जिला सहकारी बैंक स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

नए युग के सहकारी संस्थान

PACS और सहकारी बैंकों के आधुनिकीकरण और कंप्यूटरीकरण पर जोर देते हुए श्री शाह ने कहा:

- 39,000 PACS आज कॉमन सर्विस सेंटर बनकर ग्रामीण भारत में 300 से अधिक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।
- PACS को जन औषधि केंद्र, डेयरी संचालन, मछुआरा समितियां, और फर्टिलाइजर लाइसेंस जैसी 20 से अधिक नई गतिविधियों की अनुमति दी गई है।

सहकारिता में पारदर्शिता की आवश्यकता

श्री शाह ने कहा, "अगर हमें सहकारिता में जनता का विश्वास अर्जित करना है तो पारदर्शिता आवश्यक है। PACS, ज़िला सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक में पारदर्शिता लाना प्राथमिकता होनी चाहिए।"

सहकारिता का आर्थिक प्रभाव

- **अर्थव्यवस्था में योगदान:**
  जिला सहकारी बैंकों में रु. 4,33,000 करोड़ और राज्य सहकारी बैंकों में रु. 2,42,000 करोड़ की जमा राशि है। इन निधियों का बेहतर प्रबंधन सहकारी क्षेत्र को और लाभदायक बनाएगा।
- **मुनाफे में वृद्धि:**
  राज्य सहकारी बैंक और जिला सहकारी बैंक ने क्रमशः रु. 2,400 करोड़ और रु. 1,881 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया। श्री शाह ने इसे और बढ़ाने के लिए योजनाओं पर चर्चा की।

NAFSCOB की भूमिका:

NAFSCOB को "सहकारिता के आधारभूत डेटा का संरक्षक" बताते हुए श्री शाह ने इसकी 99.72% डेटा सटीकता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यह संस्था सहकारी क्षेत्र के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन करती है।

सहकारिता: आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम

श्री शाह ने सहकारिता को ग्रामीण और कृषि भारत के लिए आत्मनिर्भरता का माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि PACS के माध्यम से लॉन्ग-टर्म फाइनेंस शुरू होने से किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण को नई दिशा मिलेगी।

सहकारिता का वैश्विक नेतृत्व

अपने संबोधन के अंत में श्री शाह ने भारत को वैश्विक सहकारिता क्षेत्र में अग्रणी बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, "भारत के सहकारी क्षेत्र में दुनिया का मार्गदर्शन करने की क्षमता है। यह केवल आर्थिक समृद्धि का नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का भी माध्यम है।"

NAFSCOB की हीरक जयंती पर हुए इस आयोजन ने भारत के सहकारी आंदोलन को नई दिशा दी है। श्री अमित शाह के संबोधन ने सहकारिता के महत्व और इसकी भविष्य की संभावनाओं को रेखांकित किया, जो भारत के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन: भारत में कृषि के नए युग की शुरुआत

दिल्ली: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल नेराष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) को मंजूरी देकर देश में रसायनमुक्त और टिकाऊ खेती की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। यह मिशन न केवल किसानों की लागत घटाने और मुनाफा बढ़ाने में सहायक होगा, बल्कि देश के पर्यावरण, मिट्टी और स्वास्थ्य को भी एक नई दिशा देगा।

मिशन के मुख्य बिंदु:

- 2481 करोड़ रुपये का परिव्यय:
  o भारत सरकार: रु. 1584 करोड़
  o राज्य सरकारें: रु. 897 करोड़
- लक्ष्य: 2025-26 तक 7.5 लाख हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती का विस्तार और 1 करोड़ किसानों तक पहुंच।
- क्रियान्वयन: 15,000 ग्राम पंचायत समूहों में मिशन मोड पर लागू।

खेती का बदलता स्वरूप:

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने की केंद्र प्रायोजित योजना है। यह किसानों को पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय संसाधनों के माध्यम से खेती के आधुनिक और टिकाऊ तरीकों से जोड़ने का प्रयास है।

- **प्राकृतिक खेती के लाभ:**
  o रसायनों से मुक्त खाद्य उत्पादन।
  o मिट्टी की उर्वरता और जैव विविधता में सुधार।
  o जलवायु जोखिमों जैसे बाढ़ और सूखा से निपटने की क्षमता।
  o खेती की लागत में कमी और बाहरी संसाधनों पर निर्भरता घटाना।
  o स्वस्थ भोजन और बेहतर स्वास्थ्य।

बड़े बदलावों की ओर कदम:

1. 10,000 जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (बीआरसी):
   किसानों को जीवामृत, बीजामृत जैसे जैविक इनपुट की आसान उपलब्धता।
2. 2000 मॉडल प्रदर्शन फार्म:
   - कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) और कृषि विश्वविद्यालयों (AU) में प्रदर्शन।
   - प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स द्वारा किसानों को प्रशिक्षण।
3. 18.75 लाख प्रशिक्षित किसान:
   - अपने खेत पर जैविक संसाधन तैयार करने में सक्षम।
4. 30,000 कृषि सखियों की तैनाती:
   किसानों को जागरूक करने और समूह में संगठित करने के लिए।

मिट्टी और पर्यावरण को संजीवनी:

मिशन न केवल खेती की लागत घटाएगा बल्कि मिट्टी की उर्वरता और गुणवत्ता में सुधार करेगा। जैव विविधता और कार्बन की मात्रा बढ़ाने से मिट्टी को नया जीवन मिलेगा। जलभराव, सूखा और अन्य जलवायु जोखिमों से निपटने की किसानों की क्षमता बढ़ेगी।

स्वास्थ्य पर असर

रसायन मुक्त खेती से न केवल किसानों के परिवार बल्कि पूरे देश को पौष्टिक और सुरक्षित भोजन मिलेगा। प्राकृतिक खेती भविष्य की पीढ़ियों के लिए "हरित धरती" का उपहार साबित होगी।

प्राकृतिक खेती के लिए बाजार का समर्थन

- **आसान प्रमाणन प्रणाली और ब्रांडिंग:**
  किसानों को उनके उत्पादों की बेहतर पहचान और मूल्य दिलाने के लिए।
- **जियो-टैगिंग और निगरानी:**
  मिशन के कार्यान्वयन की रीयल-टाइम ट्रैकिंग।
- **स्थानीय बाजार और मंडियों का सहयोग:**
  किसानों को उनके उत्पाद बेचने के लिए मजबूत प्लेटफॉर्म।

शिक्षा और अनुसंधान का समावेश

- एनएफ (नेचुरल फार्मिंग) पर समर्पित स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा पाठ्यक्रम।
- रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस (RAWE) प्रोग्राम के जरिए छात्रों की भागीदारी।

प्रधानमंत्री का विजन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि "यह मिशन सिर्फ खेती का तरीका नहीं, बल्कि पर्यावरण, मिट्टी, किसान और देशवासियों के लिए एक समग्र समाधान है।" यह कदम आत्मनिर्भर भारत और टिकाऊ भविष्य की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, कृषि के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक है। यह न केवल किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षित भविष्य प्रदान करेगा। रसायनमुक्त और टिकाऊ खेती के इस मॉडल को अपनाकर भारत खेती के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर कदम बढ़ा रहा है।

भारत का सहकारी आंदोलन : समावेशी विकास को बढ़ावा

देश भर में 8 लाख से अधिक समितियाँ 29 क्षेत्रों को सशक्त बना रही

परिचय

भारत में सहकारिता आंदोलन की जड़ें बहुत गहरी हैं, जो वसुधैव कुटुम्बकम के प्राचीन भारतीय लोक व्यवहार से प्रेरणा लेती हैं, जिसका अर्थ है "समस्त विश्व एक परिवार है।" एकता और आपसी सहयोग के इस स्थायी सिद्धांत ने सहकारी समितियों के विकास को महत्वपूर्ण संस्थाओं के रूप में बढ़ावा दिया है जो स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाती हैं और जमीनी स्तर पर विकास को आगे बढ़ाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए) के अनुसार, सहकारी समितियाँ सदस्यों के स्वामित्व वाले उद्यम हैं जो साझा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों को प्राथमिकता देते हैं, लोगों को लाभ से ऊपर रखते हैं। भारत में, सहकारी समितियों ने उपेक्षित समुदायों को संसाधनों तक पहुँचाने, आजीविका सुरक्षित करने और अर्थव्यवस्था में भाग लेने में सक्षम बनाकर अनगिनत लोगों के जीवन बदल दिए हैं।

सहकारिता मंत्रालय की 6 जुलाई, 2021 को स्थापना ने सहकारी क्षेत्र को बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। मंत्रालय एक समावेशी, सहकारिता-संचालित आर्थिक मॉडल की कल्पना करता है जो हर गांव तक पहुंचे और सभी क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक बंधनों को मजबूत करे। जैसा कि भारत नवम्बर 2024 में आईसीए के वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है, एक ऐसा कार्यक्रम जो भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको) द्वारा संचालित है और भारत के 18 आईसीए सदस्य संगठनों द्वारा समर्थित है, देश राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सहकारी आंदोलन को और आगे बढ़ाने के लिए तैयार है।

सहकारी समितियों को समझना

सहकारी समिति एक स्वैच्छिक संगठन है जहाँ साझा ज़रूरतों वाले व्यक्ति आम आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साथ आते हैं। ये समितियाँ स्व-सहायता और पारस्परिक सहायता के सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाने के बजाय समाज के वंचित वर्गों के हितों की सेवा करना है। सदस्य अपने संसाधनों को एकत्रित करते हैं और साझा लाभ प्राप्त करने के लिए उनका सामूहिक रूप से उपयोग करते हैं, जिससे सहकारी संरचना सामुदायिक कल्याण पर अपने जोर में विशिष्ट बन जाती है।

भारत में सहकारी समितियों के कुछ विभिन्न प्रकार

- **उपभोक्ता सहकारी समिति:** उचित मूल्य पर उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए गठित, उत्पादकों से सीधे खरीद करके बिचौलियों को खत्म करना। उदाहरणों में केन्द्रीय भंडार और अपना बाजार शामिल हैं।
- **उत्पादक सहकारी समिति:** कच्चे माल और उपकरण जैसी आवश्यक उत्पादन वस्तुएँ उपलब्ध कराकर छोटे उत्पादकों की सहायता करती है। उल्लेखनीय उदाहरण हैं आपको और हरियाणा हैंडलूम।
- **सहकारी विपणन समिति:** छोटे उत्पादकों को उनके उत्पादों की सामूहिक बिक्री करके उनके विपणन में सहायता करती है। गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ (अमूल) इसका एक प्रमुख उदाहरण है।
- **सहकारी ऋण समिति:** जमा स्वीकार करके तथा उचित ब्याज दरों पर ऋण देकर सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। उदाहरणों में ग्राम सेवा सहकारी समिति तथा शहरी सहकारी बैंक शामिल हैं।
- **सहकारी कृषि समिति:** छोटे किसान बड़े पैमाने पर खेती का लाभ उठाने के लिए इन समितियों का गठन करते हैं। उदाहरणों में लिफ्ट-सिंचाई सहकारी समितियाँ और पानी-पंचायतें शामिल हैं।
- **हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी:** सदस्यों के लिए ज़मीन खरीदकर और उसे विकसित करके किफ़ायती आवासीय विकल्प प्रदान करती है। उदाहरणों में कर्मचारी आवास सोसाइटी और मेट्रोपॉलिटन हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी शामिल हैं।

भारत में सहकारिता आंदोलन का क्रमिक विकास

कानून के माध्यम से सहकारी संरचनाओं की औपचारिक स्थापना से पहले ही, भारत के विभिन्न भागों में सहकारिता के सिद्धांत पहले से ही समाहित थे। ग्राम समुदाय अक्सर सामूहिक गतिविधियों में लगे रहते थे, जिससे स्थायी संपत्तियाँ बनती थीं जैसे गाँव के तालाब या जंगल जिन्हें देवराय या वनराय के नाम से जाना जाता था। ये सामुदायिक प्रयास स्थानीय अस्तित्व और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण थे। विभिन्न क्षेत्रों में, चिट फंड, कुरी, भिशी और फड़ जैसे सहयोग के विभिन्न रूप उभरे। मद्रास प्रेसीडेंसी में, वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए म्यूचुअल-लोन एसोसिएशन, जिन्हें 'निधि' भी कहा जाता है, का आयोजन किया गया था। पंजाब में, सभी सह-हिस्सेदारों के लाभ के लिए आम गाँव की भूमि का प्रबंधन करने के लिए 1891 में एक सहकारी समिति की स्थापना की गई थी। हालाँकि, ये प्रयास स्वैच्छिक और अनौपचारिक थे, जो आधिकारिक ढांचे से बाहर काम करते थे।

भारत में आधुनिक सहकारी आंदोलन 19वीं सदी के उत्तरार्ध के संकट और उथल-पुथल के जवाब में आकार लेने लगा। औद्योगिक क्रांति के बाद ग्रामीण आबादी का व्यापक विस्थापन हुआ, जिसमें कई लोगों ने आजीविका के एकमात्र साधन के रूप में कृषि की ओर रुख किया। हालाँकि, भूमि विखंडन जैसे मुद्दों से कृषि कार्य प्रणालियां बाधित हुईं, जिसने खेती को अलाभकारी, और भूमि राजस्व के संग्रह को कठोर बना दिया। किसानों को अनियमित वर्षा, खराब फसल उपज और साहूकारों पर बढ़ती निर्भरता जैसी चुनौतियों का बार-बार सामना करना पड़ा, जो अक्सर उच्च ब्याज वाले ऋण देते थे या शोषणकारी कीमतों पर फसल खरीदते थे। इन कठोर परिस्थितियों ने किफायती ऋण की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया, जिससे किसानों और ग्रामीण समुदायों के लिए वित्तीय सहायता के वैकल्पिक साधन के रूप में सहकारी आंदोलन को औपचारिक रूप देने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

भारत में सहकारिता आंदोलन के इतिहास को दो चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, स्वतंत्रता-पूर्व युग का सहकारिता आंदोलन और दूसरा स्वतंत्रता-पश्चात युग का सहकारिता आंदोलन।

स्वतंत्रता-पूर्व युग में सहकारी आंदोलन

- भारत में सहकारी समितियाँ 1904 में "सहकारी ऋण समिति कानून" लागू होने के साथ ही एक कानूनी इकाई बन गईं, जिसमें सहकारी समितियों के गठन, सदस्यता, पंजीकरण, सदस्यों की देनदारियों, मुनाफे के निपटान, नियम बनाने की शक्ति और विघटन के मानदंडों को रेखांकित किया गया था। हालाँकि, यह प्रतिबंधात्मक था, जिसके दायरे से गैर-ऋण और अन्य समितियाँ बाहर थीं।
- 1912 के सहकारी समिति कानून ने 1904 के कानून की कमियों को दूर किया, तथा विपणन समितियों, हथकरघा बुनकरों और अन्य कारीगर समितियों को शामिल करने के लिए इसके दायरे का विस्तार किया। 1914 में, मैक्लेगन समिति ने क्रेडिट सोसाइटियों के लिए सुधारों की सिफारिश की, जिसमें केन्द्र, प्रांत और जिला स्तर पर तीन-स्तरीय सहकारी बैंकिंग प्रणाली का प्रस्ताव रखा गया।
- 1919 के भारत सरकार कानून ने प्रांतों को सहकारी समितियों के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया, जिसके परिणामस्वरूप 1925 का बॉम्बे सहकारी समिति कानून पारित हुआ, जो किसी प्रांतीय सरकार द्वारा पारित पहला सहकारी कानून था।
- 1942 में, भारत सरकार ने कई प्रांतों की सदस्यता वाली सहकारी समितियों को विनियमित करने के लिए बहु-इकाई सहकारी समिति कानून लागू किया और व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए केन्द्रीय सहकारी रजिस्ट्रार की शक्ति राज्य रजिस्ट्रार को सौंप दी।
- **स्वतंत्रता के बाद के युग में सहकारिता आंदोलन:**
  स्वतंत्रता के बाद, नई सरकारी प्रणाली का उद्देश्य आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण करना और सामाजिक न्याय पर ध्यान केन्द्रित करते हुए आर्थिक विकास कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना था। सहकारी समितियाँ भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का एक अभिन्न अंग बन गईं, जिसकी शुरुआत पहली पंचवर्षीय योजना से हुई, जिसमें ग्राम पंचायतों के साथ उनके समन्वय पर ज़ोर दिया गया।
- 1963 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) और 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना ग्रामीण ऋण और सहकारी विकास को समर्थन देने में महत्वपूर्ण उपलब्धि थे।
- 1984 में, भारतीय संसद ने राज्यों में सहकारी समितियों को नियंत्रित करने वाले कानूनों को सुव्यवस्थित करने के लिए बहु-राज्य सहकारी संगठन कानून पारित किया। 2002 में सहकारी समितियों पर राष्ट्रीय नीति की शुरुआत के साथ आगे समेकन हुआ, जिसका उद्देश्य कानूनी ढांचे में सामंजस्य स्थापित करना था।
- एमएससीएस संशोधन कानून 2023 और संबंधित नियम बहु-राज्य सहकारी समितियों (एमएससीएस) के भीतर शासन को बढ़ाने,

(शेष पृष्ठ 6 पर)

खाद- बीज उपलब्ध हेतु तमाम प्रबंध सुनिश्चित

जिले में 82 प्रतिशत से अधिक खाद वितरण हुआ

विदिशा :विदिशा जिले में इस वर्ष रबी सीजन की फसलों के लिए आवश्यक खाद - बीज के तमाम प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह ने कृषि सहित अन्य लाइन विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए मांग और पूर्ति के बीच किसी भी प्रकार के व्यवधान उत्पन्न ना हो का पूरा ध्यान रखा जाए। उन्होंने जिले में कहीं भी खाद की कालाबाजारी,नकली खाद का विक्रय व परिवहन ना हो वही तय दाम से अधिक दर पर भी को दुकानदार विक्रय ना कर पाए पर सतत निगरानी रखने के निर्देश प्रसारित किए हैं।

कलेक्टर श्री सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में क्रियान्वित कार्यो की जानकारी देते हुए किसान कल्याण कृषि विकास विभाग के उप संचालक ने बताया कि जिले में गत वर्ष में उक्त अवधि के दौरान डी.ए.पी. एन.पी.के. 59096 मैटिक टन का वितरण किया जा चुका है। जबकि इस वर्ष अब तक डी.ए.पी. एन.पी.के. 59045 मै.टन डी.ए.पी. का भण्डारण कराया गया है जो गतवर्ष की तुलना से ज्यादा प्राप्त हुआ है। शुक्रवार तक 58603 मे.टन का वितरण सफलता पूर्वक किया जा चुका है। वर्तमान में 643 मै.टन मात्रा शेष है जिसका वितरण भी लगातार जारी है। जिले की समस्त सेवा सहकारी समितियों पर 80 से 82 प्रतिशत तक उर्वरक की पूर्ति करा दी गई है।

जिले में वर्तमान में अभी तक 60 प्रतिशत से अधिक बौनी पूर्ण हो चुकी है। प्रमुख फसलों गेहूँ, चना, मसूर एवं सरसों की बौनी को दृष्टिगत रखते हुये पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध है। जिसका वितरण जिला प्रशासन की देखरेख में किया जा रहा है। आगामी दिनों में भी लगातार उर्वरक की रैक जिले को प्राप्त हो रही है। किसान भाईयों से अपील है कि वर्तमान में आवश्यकता अनुसार ही उर्वरक का उठाव करें।

धरती आबा योजना जिले के 86 ग्रामों में

विदिशा : पीएम जन-मन कार्यक्रम की तर्ज पर धरती आबा योजना संचालित की जा रही है। जिसके तहत विदिशा जिले में सहरिया जनजाति को छोड़कर शेष अन्य जनजाति बाहुल्य आबादी वाले ग्रामों कार्य संपादित किए जाएंगे।

जनजाति कार्य विभाग की जिला संयोजक व नोडल अधिकारी श्रीमती पारुल जैन ने बताया कि बासौदा जनपद पंचायत में सर्वाधिक 79 ग्राम में इस योजना में शामिल हैं। इसके अलावा लटेरी जनपद पंचायत के चार, ग्यारसपुर के दो तथा सिरोंज जनपद का एक ग्राम शामिल हैं।

कृषकों को फार्मर रजिस्ट्री के बारे में जानकारी दी जा रही

विदिशा : कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह ने जिले के किसानों को फार्मर रजिस्ट्री के बारे में जानकारी देने के प्रबंध सुनिश्चित कराएं है।राजस्व महाभियान 3 अन्तर्गत ग्रामों में पटवारी द्वारा किये जा रहे बी-1 बाचन कार्य का आकस्मिक निरीक्षण की प्रक्रिया क्रियान्वित की जा रही है। कलेक्टर श्री सिंह ने राजस्व महाभियान के दौरान कृषकों को फार्मर रजिस्ट्री के बारे में जागरूक करने पर बल दिया है। शासन द्वारा किसानों के लिये एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में फार्मर रजिस्ट्री की शुरुआत की गयी है। इस प्रणाली के तहत प्रत्येक किसान का एक विशिष्ट किसान आई. डीध्फार्मर आई डी बनाया जायेगा, जिसका उद्देश्य किसान की पहचान एवं उनकी जानकारी को सुरक्षित रखना है। फार्मर रजिस्ट्री कृषकों को कृषि उत्पादों का सुविधाजनक वितरण तथा राज्य की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुगमता से मिलेगा। कलेक्टर ने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री से कृषकों को किसान क्रेडिट की राशि ऑनलाईन आवेदन करने पर आधे घंटे के अंदर उनके खातों में जमा हो जाती है। फार्मर रजिस्ट्री करवाने के लिए कृषक का आधार कार्ड,समग्र आईडी, आधार से लिंक मोबाइल नंबर एवं ऋण पुस्तिका आवश्यक है। संबंधितों को तत्संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार हर स्तर पर करने के निर्देश प्रसारित किए गए हैं।

किसानों के लिये गेहूँ की नवीनतम किस्म पूसा ओजस्वी

बुरहानपुर : जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा विकसित गेहूँ की नवीनतम किस्म पूसा ओजस्वी (एचआई 1650) का बीज किसानों हेतु बुआई के लिए उपलब्ध है। कृषि विभाग उपसंचालक श्री एम. एस. देवके ने जानकारी देते हुए बताया कि, यह किस्म 115-120 दिन में पककर तैयार हो जाती है तथा इसका तना मोटा होने से गिरने की संभावना कम होती है। गेहूँ की बाली में 70-80 तक दाने होते है। जिसकी औसत उपज 60-80 क्विंटल प्रति हैक्टर तक होती है। यह किस्म पौष्टिकता के साथ-साथ चपाती के लिये उपयोगी है।

पशु पालको को केसीसी का वितरण

विदिशा :नाबार्ड के सहयोग से बाएफ लाइवलीहूडस द्वारा प्रायोजित करीला एग्रो कृषक उत्पाद संगठन के 233 सदस्य किसानो को पशुपालन के क्षेत्र में बढावा देने के लिए जिला सहकारी बैंक विदिशा के द्वारा पशु क्रेडिट कार्ड वितरण कार्यक्रम का आयोजन पीएनबी प्रशिक्षण संस्थान में किया गया था।

नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक श्री सुनील कुमार ने किसानो से कहा कि पशुपालन को बढावा देने के क्षेत्र में विदिशा जिले में किए जा रहे प्रयासो का संदेश प्रदेश के अन्य जिलो में जाए। उन्होंने पशुपालन के लिए किसान उत्पादक संगठन के जरीए क्षेत्र में विकास के लिए किए जा रहे नवाचारो का स्वागत करते हुए शुभकामनाएं अभिव्यक्त की है।

नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक श्री सुनील कुमार ने कहा कि विदिशा जिले में दुग्ध उत्पादन करने वाले किसानो को अधिक से अधिक पशु क्रेडिट कार्ड जारी हो रहे है यह सब आपसी तालमेल का प्रतीक है। उन्होंने केसीसी से होने वाले फायदो को रेखांकित किया और इस मदद से क्षेत्र में पशुपालको को पशुओं की संख्या बढाने में मदद मिलेगी।

इस दौरान किसानो को आत्म निर्भर बनने, आय में वृद्धि करने के क्षेत्र में पशुपालन को महत्वपूर्ण इकाई के रूप में संचालित करने पर विशेष सुझाव सांझा किए गए है। कार्यक्रम में लीड बैंक आफीसर श्री बीएस बघेल, नाबार्ड के जिला विकास अधिकारी श्रीमती जगप्रीत कौर, सहकारिता बैंक खामखेडा के प्रबंधक श्री लखन भार्गव के अलावा बाएफ लाइवलीहूड्स भोपाल और करीला एग्रो किसान उत्पादक संगठन के बोर्ड डायरेक्टर सदस्य मौजूद रहें।

फसल ऋण नीति निर्धारण के लिए जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की तकनीकी समूह की हुई बैठक

खरगोन :जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक खरगोन के कार्यक्षेत्र में उत्पादित कि जाने वाली विभिन्न फसल कपास, मिर्च, सोयाबीन, मक्का, गेहू, चना आदि, एवं पशुपालन तथा मत्स्य पालन के लिए वर्ष 2025-26 में ऋण मान का निर्धारण करने 21 नवंबर को कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा की अध्यक्षता में बैंक की जिला स्तरीय तकनीकी समूह की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में फसल ऋण निर्धारण के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में डिप्टी कलेक्टर सुश्री पूर्वा मण्डलोई, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के प्रबंध संचालक श्री पीएस धनवाल, सहायक संचालक कृषि श्री प्रकाश ठाकुर, सहायक आयुक्त सहकारिता श्री केआर आवासे, सहायक संचालक उद्यानिकी श्री केके गिरवाल, कृषि विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, अग्रणी जिला बैंक एवं प्रगृतिशील किसान मौजूद रहे।

बैठक में कलेक्टर श्री शर्मा ने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जिले के अधिक से अधिक किसानों को सहकारी बैंक से जोड़ने के लिए सार्थक प्रयास करें। इससे अधिक किसानों को शासन की फसल ऋण योजना का लाभ मिलेगा और बैंक का व्यवसाय भी बढ़ेगा। जिले में अभियान चलाकर किसानों को बैंक का सदस्य बनाने कहा गया। बैंक को अपने व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए प्रयास करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में विभिन्न फसलों के ऋणमान निर्धारण के लिए समिति के सदस्यों एवं प्रगतिशील कृषको के द्वारा फसलों की लागत, उनके उत्पादन मूल्य तथा ऋण भुगतान क्षमता पर चर्चा कर ऋणमानों का निर्धारण किया गया। ऋणमान के आधार पर आगामी वर्ष 2025-26 में खरगोन एवं बड़वानी जिले के कृषको को सहकारी एवं समस्त व्यवसायिक एवं ग्रामीण बैंकों द्वारा अल्पकालीन एवं मध्यकालीन कृषि ऋण प्रदाय किया जाएगा। सहकारी बैंक प्रबंध संचालक श्री पीएस धनवाल द्वारा किसानों से अनुरोध किया गया है कि वह उनकी निकटतम सहकारी समिति से सम्पर्क कर सदस्यता प्राप्त करें। सहकारी समितियों द्वारा शून्य प्रतिशत ब्याज पर अल्पकालीन फसल ऋण के साथ-साथ रासायनिक खाद, बीज एवं आदि का वितरण केवल सहकारी समिति के सदस्यों को ही किया जाता है। अतः समितियों की सदस्यता प्राप्त कर इसका लाभ उठाए। प्रबंध संचालक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि खरगोन सहकारी बैंक प्रदेश की अग्रणी बैंक है जो 03 वर्षों से अधिक नियमित लेन-देन करने वाले कृषकों को पात्रता अनुसार 03 लाख से अधिक 05 लाख रुपये तक फसल ऋण प्रदान करती है।

सहकारी प्रशिक्षण केंद्र द्वारा बुन्देलखण्ड दुग्ध सहकारी समिति में एक दिवसीय वर्ग प्रशिक्षण का आयोजन

नौगांव। सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, नौगांव द्वाराबुन्देलखण्ड दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित दिनऊ, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों को उनके कार्यों में दक्षता बढ़ाने, दुग्ध उत्पादन में सुधार और सहकारी सिद्धांतों के महत्व के बारे में जागरूक करना था।

प्रशिक्षण शिविर में विभिन्न विशेषज्ञों ने दुग्ध उत्पादन के प्रबंधन, नवीनतम तकनीकों, गुणवत्ता नियंत्रण, और विपणन के प्रमुख पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी। साथ ही, सहकारी संस्थाओं के संचालन, उनके लाभ और विकास के विषय में भी चर्चा की गई। शिविर में उपस्थित सदस्यों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और विशेषज्ञों से सवाल पूछकर समाधान प्राप्त किया।

कार्यक्रम के समापन पर बुन्देलखण्ड दुग्ध सहकारी समिति के सदस्यों और प्रबंधन टीम ने इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविरों के महत्व को स्वीकार करते हुए भविष्य में और ऐसे शिविर आयोजित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने सहकारिता के माध्यम से दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में विकास और समृद्धि की दिशा में निरंतर प्रयास करने का संकल्प लिया।

यह प्रशिक्षण शिविर दुग्ध सहकारी समिति के सदस्यों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर साबित हुआ, जिससे उन्हें सहकारी सिद्धांतों की गहरी समझ प्राप्त हुई और अपने दुग्ध उत्पादन व्यवसाय को और अधिक प्रभावी तरीके से बढ़ाने के लिए प्रेरणा मिली।

सोयाबीन उपार्जन में 12 प्रतिशत नमी ही मान्य

राजगढ़ :जिला विपणन अधिकारी श्री संजय गीते ने बताया कि समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदी में सिर्फ 12 प्रतिशत तक ही नमी मान्य किए जाने एवं डब्ल्यू. एच.आर जारी हेतु निर्देश हैं।

दी, सहकारी समितियों के परिसमापन हेतु दावों एवं आपत्तियों की सूचना

राजगढ़ :जिले की महाराष्ट्र गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित राजगढ, सिंचाई नगर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित जीरापुर, कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित तलेनी, गायत्री गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित राजगढ, गृह प्रबंधकारिणी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित ब्यावरा, विवेकानन्द गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित राजगढ, चर्मकार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित सांरगपुर एवं बखतपुरा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित ब्यावरा सहकारी समितियों को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाऐं अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री बीएल यादव को परिसमापक सहकारी संस्थाऐं नियुक्त किया गया है।

परिसमापक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सहकारी समितियों से संबंद्ध समस्त दावेदारों को सूचित किया है कि वे नियम 57 (ग) की इस सूचना पत्र की प्रकाशन से 02 माह की अवधि में उनकी दावेदारी की राशि के संबंध में मय प्रमाण के लिखित में अपना दावा परिसमापक के सम्मुख कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में तथा साक्षों से समर्थित दावा प्रस्तुत न होने की स्थिति में दावा मान्य नहीं किया जायेगा या संस्था की अद्यतन लेखा पुस्तिका के आधार पर दायित्व का भुगतान किया जायेगा।

(पृष्ठ 4 का शेष)

भारत का सहकारी आंदोलन : समावेशी विकास को बढ़ावा

पारदर्शिता बढ़ाने और संरचनात्मक परिवर्तनों को लागू करने का प्रयास करते हैं, जिससे सहकारी समितियों को अधिक स्वतंत्रता के साथ सशक्त बनाया जा सके।

भारत में सहकारी आंदोलन का पुनरुत्थान

6 जुलाई 2021 को स्थापित सहकारिता मंत्रालय (एमओसी) ने भारत में सहकारिता आंदोलन को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने इस क्षेत्र की उन्नति के लिए एक मजबूत प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं और पहलों का नेतृत्व किया है। एमओसी बहु-राज्य सहकारी समितियों को बढ़ावा देने और सहकारी समितियों के लिए "कारोबार को सुगम बनाने" को बढ़ाने के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने पर विशेष जोर दे रहा है। मंत्रालय के प्रयास सहकारी समितियों के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण, कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से पारदर्शिता को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने पर केन्द्रित हैं। इसके अतिरिक्त, समावेशी विकास सुनिश्चित करने पर विशेष रूप से वंचित ग्रामीण समुदायों पर जोर दिया जाता है। अपनी पहलों के माध्यम से, एमओसी का उद्देश्य हर गाँव को सहकारी समितियों से जोड़ना है, 'सहकार से समृद्धि' के बैनर तले आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना है, जो देश के समग्र विकास में योगदान देता है।

सहकारी क्षेत्र के उन्नयन के लिए प्रमुख सरकारी पहल (6 फरवरी, 2024 तक) :

- **पैक्स के लिए आदर्श उप-नियम:** नए आदर्श उप-नियम पैक्स को 25 से अधिक गतिविधियां करने, प्रशासन में सुधार करने और समावेशिता सुनिश्चित करने में सक्षम बनाते हैं, 32 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों ने इन्हें अपनाया है।
- **पैक्स का कम्प्यूटरीकरण:** 2,516 करोड़ रुपये की परियोजना का लक्ष्य 63,000 पैक्स का कम्प्यूटरीकरण करना, उनकी कार्यकुशलता में सुधार लाना और उन्हें नाबार्ड से जोड़ना है। 28 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की 62,318 पैक्स को इसमें शामिल किया गया है, जिनमें से 15,783 पैक्स पहले ही इसमें शामिल हो चुकी हैं।
- **नई बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियां:** विभिन्न महासंघों के सहयोग से शामिल नहीं की गई पंचायतों में 9,000 से अधिक नई पैक्स/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियां स्थापित की जा रही हैं।
- **विकेन्द्रीकृत अनाज भंडारण योजना:** पैक्स स्तर पर गोदाम और कृषि-बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की योजना, जिससे खाद्यान्न की बर्बादी और परिवहन लागत में कमी आएगी, पायलट परियोजना के लिए 2,000 पैक्स की पहचान की गई है।
- **सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) के रूप में पैक्स:** इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नाबार्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन के तहत 30,647 पैक्स ग्रामीण नागरिकों को 300 से अधिक ई-सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होंगे।
- **किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन:** किसानों के लिए बाजार संपर्क में सुधार के लिए पैक्स द्वारा 1,100 अतिरिक्त एफपीओ का गठन किया जाएगा।
- **खुदरा पेट्रोल/डीजल आउटलेट:** 240 पैक्स ने खुदरा पेट्रोल/डीजल आउटलेट के लिए आवेदन किया है, जिनमें से अब तक 39 का चयन किया गया है।
- **प्राथमिक कृषि समितियों के लिए एलपीजी वितरक:** प्राथमिक कृषि समितियां (पीएसीएस) अब एलपीजी वितरक के लिए आवेदन कर सकती हैं, 3 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से 9 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
- **पीएम भारतीय जन औषधि केन्द्र:** 2,475 पैक्स को जन औषधि केन्द्रों के रूप में संचालित करने की मंजूरी दी गई है, जिससे जेनेरिक दवाओं तक पहुंच में सुधार होगा।
- **प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र (पीएमकेएसके):** 35,293 पैक्स अब किसानों को उर्वरक और संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए पीएमकेएसके के रूप में कार्य कर रहे हैं।
- **पीएम-कुसुम समरूपता:** पैक्स से जुड़े किसान सिंचाई के लिए सौर जल पंप अपना सकते हैं।
- **ग्रामीण जलापूर्ति का संचालन एवं रखरखाव:** 14 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव के लिए 1,630 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का चयन किया गया है।
- **सहकारी समितियों के लिए माइक्रो-एटीएम:** गुजरात में घर-घर वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के लिए बैंक मित्र सहकारी समितियों को 1,723 माइक्रो-एटीएम वितरित किए गए हैं।
- **डेयरी सहकारी समितियों के लिए रुपे किसान क्रेडिट कार्ड:** गुजरात में डेयरी सहकारी सदस्यों को 1,23,685 रुपे केसीसी वितरित किए गए हैं।
- **मत्स्य कृषक उत्पादक संगठनों (एफएफपीओ) का गठन:** एनसीडीसी ने 69 एफएफपीओ पंजीकृत किए हैं और रु. 225.50 करोड़ के परिव्यय के साथ 1,000 मत्स्य सहकारी समितियों को एफएफपीओ में परिवर्तित कर रहा है।

सहकारी क्षेत्र पर एक नज़र

भारत में सहकारी समितियाँ कृषि, ऋण और बैंकिंग, आवास और महिला कल्याण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम करती हैं। वे किसानों और छोटे उद्यमियों को ऋण प्रदान करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में सहायक हैं, जिन्हें पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुँचने में कठिनाई हो सकती है। ये समितियाँ ग्रामीण विकास, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

निष्कर्ष

भारत के सहकारिता आंदोलन की जड़ें अपने सांस्कृतिक और सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में गहराई से समाई हुई हैं, सहाकारिता आंदोलन समावेशी विकास, सामुदायिक सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास के लिए एक शक्तिशाली साधन के रूप में विकसित हुआ है। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना और इसकी हाल की पहलों के माध्यम से, सरकार ने एक सहकारिता-संचालित मॉडल को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है जो देश के हर कोने तक पहुँचे, उपेक्षित समुदायों के लिए स्थायी आजीविका और वित्तीय समावेशन की सुविधा प्रदान करे। नवम्बर 2024 में भारत द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए) का आगामी वैश्विक सम्मेलन इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो दुनिया भर के दर्शकों के लिए सहकारी क्षेत्र में भारत की अभिनव प्रगति को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह आयोजन न केवल राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता को मजबूत करने के लिए भारत के समर्पण को उजागर करता है, बल्कि दुनिया भर में सहकारी मॉडल को आगे बढ़ाने में इसकी नेतृत्वकारी भूमिका को भी दर्शाता है, जो समृद्धि और एकता के मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में 'सहकार से समृद्धि' के दृष्टिकोण की पुष्टि करता है।

तीन दिवसीय सहकारी नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन

सीहोर। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ नई दिल्ली एवं सीहोर जिला सहकारी संघ मर्यादित सीहोर के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 25 से 27 नवम्बर 2024 तक प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के संचालक मण्डल के सदस्यों हेतु तीन दिवसीय नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन अवसर पर सुनील सक्सेना, आडिट आफिसर एवं प्रशासक जिला सहकारी संघ मर्यादित सीहोर द्वारा सम्बोधित करते हुए कहाकि सहकारी समिति के सदस्यों के आर्थिक विकास हेतु सदस्यों को उन्नत किश्म के दूधारू पशु रखना चाहिए। समिति को शुद्ध दूध प्रदाय करें, दूध पात्र साफ हो। जिससे समिति का दुग्ध खराब नहीं हो और समिति विकास की ओर अग्रसर हो।

के. एस. दुगारिया जिला नोडल अधिकारी भोपाल दुग्ध सहकारी संघ मर्यादित भोपाल द्वारा राज्य शासन द्वारा संचालित दुग्ध प्रदायक सदस्यों के लिए दुग्ध समिति के माध्यम से संचालित योजनाओं को विस्तार से बताया। श्री के. एल. राठौर पूर्व प्राचार्य सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र इन्दौर द्वारा संस्थाओं में की जाने वाली बैठकों का महत्व समझाया गया।

श्री तेजसिंह ठाकुर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी संघ सीहोर द्वारा प्रशिक्षण का महत्व बताया तथा सभी अतिथियों का स्वागत व आभार प्रकट किया। इस अवसर पर भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के पर्यवेक्षक मूलचन्द वर्मा, शादीलाल वर्मा, धमेन्द्रसिंह ठाकुर, गोविन्द प्रसाद शर्मा, पंकज गौर, कुमारी वन्दना ठाकुर, जितेन्द्र वर्मा, सुनील वर्मा 15 दुग्ध सहकारी समितियों से 60 संचालक मण्डल सदस्यों ने प्रशिक्षण में सम्मिलिति होकर प्रशिक्षण का लाभ लिया।

नवीन सायबर अपराध व सुरक्षा उपाय

सायबर अपराध – कम्प्यूटर, मोबाईल व इंटरनेट की मदद से होने वाले अपराधो को सायबर अपराध कहलाते है। इसमें अपराधी विश्व के किसी भी जगह से अपराध कर सकता है। जिसे पकड़ पाना पुलिस के लिए एक चुनौती है। अपराधी जिसे स्कैमर भी कहा जाता है वह नित्य नये प्रकार से फ्रॉड करने का कार्य कर रहे है। भारत सरकार के केन्द्रीय मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाली इंडियन कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने 14 नवीन प्रकारों के फ्रॉडस की एक रिपोर्ट सार्वजनिक की है, जो निम्नानुसार है- जॉब स्कैम द्ध यह स्कैम इस साल देश में सबसे ज्यादा देखने को मिला। इसमें स्कैमर फर्जी नौकरियों की भर्ती के मैसेज भेजते है।

सहकारी प्रशिक्षण केंद्र जबलपुर विश्व मृदा दिवस पर प्रशिक्षण सम्पन्न

जबलपुर में दिनांक 05/12/2024 को विश्व मृदा दिवस के अवसर पर सहकारी प्रशिक्षण केंद्र जबलपुर एवं पारादीप फाशपेड लिमिटेड के द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन ग्राम कैलवास मे किया गया। कार्यक्रम के सुभारम्भ के साथ श्री एस के दीक्षित जी ने मिट्टी को उर्वरक बनाने और मिट्टी परीक्षण के बारे मे जानकारी दी। मार्केटिंग ऑफिसर गगन चौधरी ने उन्नत फसल और खाद, बीज के विषय मे अपने अनुभव व्यक्त किये। केंद्र के प्रशिक्षक जय कुमार दुबे ने सहकारिता के गठन एवं सायबर अपराध के बारे मे चर्चा की। कार्यक्रम मे मुख्य अतिथि सरपंच श्री गोपाल यादव जी भीम पटेल, जगदीश सोनी, संतोष यादव, डुमरीलाल यादव, राजेश पटेल, भोला ठाकुर, पवन सोनी, रामलाल श्रीपाल, बिहारी यादव, रवि दुबे, केशव दुबे, राजेश झरिया, रवि, रोहित, कमल, फूलचंद, विवेक, अंकित, नंदू, राजेश, के साथ अन्य सदस्य उपस्थित रहे कार्यक्रम का संचालन एवं आभार व्यक्त श्री ईश्वर यादव जी ने किया।

पीएमश्री शासकीय बापू डिग्री कॉलेज, नौगांव "नवीन साइबर अपराध व सुरक्षा उपाय" विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला सम्पन्न

पीएमश्री शासकीय बापू डिग्री कॉलेज, नौगांव जिला छतरपुर में आज दिनांक 6 दिसंबर 2024 को स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना अंतर्गत "नवीन साइबर अपराध व सुरक्षा उपाय" विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें भारत सरकार की आईसीईआर टीम द्वारा जारी रिपोर्ट में वर्णित नवीन प्रकार के साइबर अपराध तथा उससे बचाव संबंधी जानकारी दी गई। संबंधित नोट्स भी वितरित किए गए। सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, नौगांव के प्राचार्य श्री शिरीष पुरोहित द्वारा विषय पर विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। डॉ मूलचंद्र राजपूत, सहायक प्राध्यापक द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया। डॉ कैलाश रजक, सहायक प्राध्यापक द्वारा आभार व्यक्त किया गया।

इस कार्यशाला में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों द्वारा भाग लेकर विषय संबंधी जानकारी प्राप्त की गई। विद्यार्थियों ने कार्यक्रम को वर्तमान समय की आवश्यकता बताया व अपने प्रश्नों का समाधान भी प्राप्त किया। कार्यक्रम में जिला सहकारी शिक्षा प्रशिक्षक श्री ह्रदेश कुमार रॉय द्वारा सहकारिता व मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ की गतिविधियों की जानकारी दी गई। जिला सहकारी शिक्षा प्रशिक्षक श्री बाबूलाल कुशवाहा द्वारा बुंदेलखंडी भाषा में सहकारिता संबंधी एक लोकगीत प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम आयोजन की अनुमति के लिए कॉलेज के प्राचार्य डॉ पी के मिश्राजी का आभार व्यक्त किया गया।

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ में 71वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह का चतुर्थ दिवस सम्पन्न

भोपाल। दिनांक 17.11.2024 को उपभोक्ता संघ भोपाल में 71 वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह के चतुर्थ दिवस विषय - सहकारी उधमपुर का रूपांतरण पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर सहकारी सतरंगा ध्वज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री पी.डी. मिश्रा, से.नि. अपर आयुक्त, सहकारिता द्वारा फहराया गया। तत्पश्चात उपस्थित अतिथियों द्वारा दीप प्रज्जवलन एवं मॉ सरस्वती के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया गया। उपभोक्ता संघ के प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन द्वारा सहकारी उद्धमों का रूपांतरण विषय पर अपने उद्गार व्यक्त करते हुए संगोष्ठी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम अवसर पर श्री पी.डी. मिश्र, से.नि. अपर आयुक्त, सहकारिता, ने अपने विचार एवं अनुभवों के आधार पर बताया कि सहकारिता विभाग अन्य विभागों की तुलना में पिछड़ता जा रहा है जिसके लिये हमें डिजिटल तकनीक अपनाने की आवश्यकता है। जिस पर ध्यान देना चाहिए। श्रीकुमार जोशी, से.नि. संयुक्त् आयुक्त, सहकारिता, सहकारी उद्धमों के सदस्यों और प्रबंधकों के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें ताकि वे नए कौशल व तकनीक अपना सकें। श्री के.शंकर, से.नि. प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया भोपाल ,सहकारी उद्धमों के वित्तीय प्रबंधन में सुधार लाने पर अपना उद्बोधन दिया, श्री बृजेश शरण शुक्ल, अपर आयुक्त, सहकारिता एवं प्रशासक, उपभोक्ता संघ ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहां की उपभोक्ता संघ द्वारा संचालित प्रियदर्शिनी केन्द्रों को अपने उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में कार्य करना चाहिए। संघ के प्रबंध संचालक द्वारा सहकारी क्षेत्र में जागरूकता को बढ़ावा देने के साथ उपभोक्ता संघ को वर्तमान आधुनिक प्रतिस्पर्धात्मक दौर की मुख्य धारा में आने हेतु मंथन आवश्यक है, का उद्बोधन करते हुए कार्यक्रम का समापन किया।

मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर सहकारी बैंकों के सुदृढ़ीकरण के प्रयास करना होंगे - मनोज पुष्प, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक

भोपाल, दिनांक 07.10.2024 - जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की समन्वय भवन में आयोजित बैठक को सम्बोधित करते हुए श्री मनोज पुष्प, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें ने कहा कि भारत शासन के "सहकारिता से समृद्धि" के मंत्र को साकार करने की दिशा में मध्य प्रदेश शासन के नीति-निर्देशों का पालन करते हुए मध्य प्रदेश के सभी 38 जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर अपने बैंक का सफल नेतृत्व करते हुए व्यवसाय संवर्धन की दिशा में सकारात्मक प्रयास करने होंगे, तभी प्रदेश के कृषि साख आन्दोलन को और सशक्त व समृद्ध बनाया जा सकेगा।

श्री पुष्प ने आगे कहा कि आप जब लगन व समर्पण भाव से इस दिशा में प्रयास करेंगे, तभी जिला बैंक व उसके अन्तर्गत आने वाली सहकारी समितियां सुदृढ़ होंगी।

अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक श्री मनोज गुप्ता ने बैठक के उद्देश्यों से अवगत कराते हुए आयुक्त महोदय के निर्देशों का अनुसरण करने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को प्रेरित किया। उन्होंने अवगत कराया कि इस प्रकार की बैठक प्रतिमाह के प्रथम शनिवार को आयोजित होगी, जिसमें आप सभी से मध्य प्रदेश शासन एवं अपेक्स बैंक से समय-समय पर जारी होने वाले नीति-निर्देशों के अनुसार कार्य सम्पादन की प्रगति की समीक्षा की जायेगी।

आप सभी के कर्मठ प्रयासों से ही प्रदेश की यह त्रि-स्तरीय संरचना प्रगति पथ पर अग्रसर होगी।

बैठक में अन्य महत्वपूर्ण व तकनीकी बिन्दुओं पर सहकारिता विभाग के उप सचिव श्री मनोज सिन्हा, बैंक के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारीगण श्री अरूण मिश्रा, श्रीमती अरूणा दुबे, श्रीमती कृति सक्सेना, उप महाप्रबंधक श्री आर.एस.चंदेल, श्री अरविन्द बौद्ध, प्रबंधक श्री आर.व्ही.एम.पिल्लई, श्री आशीष राजौरिया, श्री आर.के.गंगेले, श्री जी.के.अग्रवाल, श्री पराग पाठक ने भी सम्बोधित किया।

बैठक का संचालन श्री करुण यादव, प्रबंधक (सीबीएम) ने किया।

बैठक में बैंक के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी श्री संजय मोहन भटनागर, प्रबंधक श्री समीर सक्सेना, श्री आर.एस. विश्वकर्मा, मध्य प्रदेश के 38 जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के साथ शासन, विभाग व बैंक के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित हुए।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।